



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 459 राँची, शुक्रवार,

25 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

18 अगस्त, 2020

संख्या-15/मु०मं०स०-09-01/2020 का० 4011--राज्य सरकार अन्तर्गत विभिन्न विभागों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों द्वारा उनकी सेवाशर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा कर अपना अभिमत देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1	विकास आयुक्त, झारखण्ड	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग	सदस्य सचिव
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, योजना- सह-वित्त विभाग	सदस्य
5	प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग	सदस्य

2. यह समिति निम्न बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन देगी:-

- (क) विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अनुबंध/संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों की संख्या ।
- (ख) अनुबंध/संविदा पर की गयी इन नियुक्तियों में अपनायी गयी प्रक्रिया की विवरणी ।
- (ग) अनुबंध/संविदा पर नियुक्त इन कर्मियों की सेवाशर्त /सेवा अवधि/मानदेय की विवरणी ।
- (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायादेशों एवं अन्य आदेशों के आलोक में अनुबंध/संविदा पर नियुक्त इन कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की संभावनाएँ ।
- (ङ.) इन कर्मियों की वर्तमान सेवाशर्तों में सुधार के संबंध में परामर्श ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

वंदना दादेल,
सरकार के सचिव
